<u>न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)</u>

<u>अपील संख्याः– 12 / 88 / 2019</u>

<u>अपीलार्थीः–</u>	**<u>प्रत्यर्थीः–</u>**
श्री मुकेश धानावत अतिरिक्त मुख्य संगठक कांग्रेस सेवादल जिला अलवर नि0 रोड नं0 2 खदाना मौहल्ला अलवर ।	**लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर**

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

<u>––:: निर्णय ::––</u>

<u>दिनांकः– 14–10–2019</u>

7. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक जो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय को प्राप्ति दिनांक 01.08.19 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
8. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
9. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 01.10.2019 को उपस्थित आवें।
10. अपीलार्थी उपस्थित आया। अपीलार्थी ने अपना लिखित जबाव पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम कानून के प्रावधान है कि सूचना 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जावें। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1946 दिनांक 1.10.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 के संबंध में कोषाधिकारी अलवर के पत्रांक 418–419 दिनांक 4.9.19 के माध्यम से अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना एवं पत्रांक 350 दिनांक 13.9.19 के माध्यम से वांछित सूचना हेतु अपीलार्थी से शुल्क जमा कराने हेतु लिखा है। प्रा0पत्र दिनांक 1.8.19 के संबंध में बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु सूचना हेतु अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा राजकोष कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को भी पत्रांक 1946 दिनांक 1.10.19 के माध्यम से सूचित किया जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
12. निर्णय आज **दिनांक 14.10.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर